झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना

योजना का लाभ लेने संबंधी प्रश्नावली

1. प्रश्न– झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना क्या है?
उत्तर– झारखण्ड सरकार द्वारा बहन–बेटियों के सशक्तिकरण हेतु चलाई गई योजना है।

2. प्रश्न– आवेदन कहाँ मिलता है?
उत्तर– आँगनबाड़ी केन्द्र/पंचायत/हल्का/अंचल/प्रखण्ड अथवा जिला कार्यालय में।

3. प्रश्न– इसमें आवेदन कैसे करना है?
उत्तर– आवेदन को भरकर एवं सभी आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो लगाकर इसे कार्याल्य में जमा कराना होता है।

4. प्रश्न– आवेदन भरने के बाद कहाँ जमा कराना होता है?
उत्तर– संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्र/पंचायत/हल्का/प्रखण्ड/अंचल कार्यालय में।

5. प्रश्न– फार्म भरते समय फोटो खिंचवाना या आधार के लिए अंगूठा लगाना पड़ेगा?
उत्तर– इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

6. प्रश्न– आवेदन के लिए कितना पैसा लगता है?
उत्तर– पूर्णतः निःशुल्क है। फार्म भरने से लेकर राशि भुगतान तक सब निःशुल्क है।

7. प्रश्न– आवेदन के लिए कितना उम्र होना चाहिए?
उत्तर– 21 वर्ष की आयु पूर्ण तथा 50 वर्ष से कम।

8. प्रश्न– उम्र में कुछ महिना कम है तो?
उत्तर– जैसे ही 21 वर्ष पूरा होगा उन्हें योजना से जोड़ दिया जायेगा।

9. प्रश्न– उम्र अगर 50 वर्ष से ज्यादा हो तो?
उत्तर– 50 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर उन्हें सर्वजन पेंशन योजना अन्तर्गत वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

10. प्रश्न– आवेदन में कौन–कौन से कागजात लगते हैं?
- **(i)** आधार कार्ड।
- **(ii)** बैंक खाता का पासबुक (आवेदिका का सिंगल खाता होना चाहिए)।
- **(iii)** पासपोर्ट साइज फोटो।
- **(iv)** राशन कार्ड।

11. प्रश्न– वोटर कार्ड जरुरी है क्या?
उत्तर– नहीं।

12. प्रश्न– पैन कार्ड देना होता है?
उत्तर– नहीं।

13. प्रश्न— कौन सा राशन कार्ड चलेगा?
उत्तर— सभी तरह के राशन कार्ड (पीला, लाल, सफेद वं हरा)।

14. प्रश्न— अगर राशन कार्ड में आवेदिका का नाम न हो तो?
उत्तर— पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा।

15. प्रश्न— अगर पिता/पति का राशन कार्ड दूसरे जिला का हो तो?
उत्तर— झारखण्ड के सभी जिलों का राशन कार्ड मान्य है।

16. प्रश्न— किस बैंक का खाता देना पड़ता है?
उत्तर— सभी बैंक का खाता मान्य है।

17. प्रश्न— क्या योजना का लाभ सिर्फ कुछ महिने तक मिलेगा?
उत्तर— हर माह 1000 रु0 की दर से 12000 रु0 वार्षिक भुगतान किया जायेगा।

18. प्रश्न— पैसा मिला या नहीं यह कैसे पता चलेगा?
उत्तर— सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम से उन्हें भुगतान के बाद दिये गये मोबाइल नम्बर पर मैसेज (**SMS**) भेजा जाएगा।

19. प्रश्न— इसमें जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल किस रुप में कर सकते हैं?
उत्तर— इस प्रोत्साहन राशि से सभी आवश्यक कार्य जैसे— शिक्षा, चिकित्सा, यात्रा, घरेलू कार्य, खरीददारी इत्यादि जो उनकी आवश्यकता हो कर सकती हैं।

20. इस योजना का लाभ किसको नहीं मिलेगा?
उत्तर— वैसी महिलायें जो झारखण्ड की नहीं हैं,
जिनका परिवार आयकर जमा करता है,
स्वयं या उनके पति अथवा उनके पिता (अविवाहित महिला के संदर्भ में) सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में स्थायी/नियमित/संविदा/मानदेय पर नियोजित एवं कार्यरत हों अथवा सेवानिवृति के उपरांत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पा रहे हों।
EPF खाताधारी हों।
वृद्धा पेंशन/विधवा पेंशन/दिव्यांग पेंशन/अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही हों।

21. प्रश्न— योजना से संबंधित ज्यादा जानकारी लेना हो तो क्या करना होगा?
उत्तर— संबंधित पंचायत/हल्का/प्रखण्ड/अंचल/सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है या टोल फ्री नम्बर— 1800 890 0215 पर कॉल कर सकते हैं।